POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 02

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 फरवरी, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! केन्द्र सरकार की व्यापक रणनीति और सुधारों के दौर शुरू होने से देश में एक नया माहौल बना है। ग्रामीण युवा वर्ग में भी कुछ नया करने की सोच उभरकर सामने आने लगी है।

केन्द्र के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की गहमा-गहमी के बीच अब गांवों को भी स्मार्ट बनाने की नई मुहिम शुरू हो चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार 'स्मार्ट विलेज' परियोजना पर काम शुरू करने जा रही है।

उम्मीद की जा रही है कि इससे ग्रामीण विकास को नए पंख लगेंगे और गांवों का विकास तेजी से होगा। गांवों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, शिक्षा, बिजली, पेयजल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि के सही इंतजाम होंगे।

जरूरी यह भी है कि आर्थिक विकास के लिए गांव में जरूरत के माफिक उद्योग-धन्धे स्थापित हों, लोग स्वरोजगार के जरिए स्वावलम्बी बन सकें। यह इंतजाम भी करने होंगे। खेती, किसान और पशुधन की समृद्धि के बारे में भी नए तरीके से सोचने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कई सार्थक कदम उठाए हैं ।

फिर भी, सरकार द्वारा इन प्रयोजनों के लिए पंचायतों को दिए जाने वाले धन से जुड़े कार्यों का मूल्यांकन टिकाउ विकास की सोच के आधार पर किया जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि, अमूमन देखा गया है कि धन के दुरुपयोग के चलते विकास को वह गति नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए।

गांव के जागरूक लोगों को भी इस बारे में पूरी जानकारी के साथ होने वाले कार्यों पर भी निगरानी रखनी होगी।

पिता की मौत 2005 से पहले तो बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं

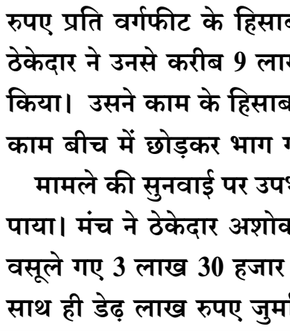

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में पिता की संपत्ति में बेटियों के बराबर के अधिकार को सीमित कर दिया है। कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा, अगर पिता की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन से पहले हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में बेटियों को संपत्ति में बराबर के अधिकार से वंचित रखा जाएगा। बेटी को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी तभी मिल सकेगी जब पिता 9 सितम्बर 2005 तक जीवित हो। कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005 की व्याख्या करते हुए यह टिप्पणी की है।

हक : कब है और कब नहीं

हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में बेटी के लिए पिता की संपत्ति में किसी तरह के कानूनी अधिकार की बात नहीं कही गई है। वहीं संयुक्त हिंदू परिवार होने पर बेटी को जीविका की मांग का अधिकार दिया गया था। बाद में 9 सितम्बर 2005 को कानून में संशोधन कर इस असमानता को हटाया गया और पिता की संपत्ति में बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार दिया गया।

यह फैसला पिता की संपत्ति में हिस्से की चाहत रखने वाली बेटियों के लिए दोहरा झटका है। अभी तक वह 20 दिसम्बर 2004 से पहले वाली स्थिति के लिए संपत्ति पर दावा पेश नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कोर्ट ने इसके लिए संशोधित अधिनियम अस्तित्व में आने की तारीख यानी 9 सितम्बर 2005 तय कर दी है।

भवन निर्माण ठेकेदार पर लगाया डेढ़ लाख रुपए जुर्माना

शास्त्री नगर निवासी पिस्ता देवी ने भवन निर्माण ठेकेदार अशोक कुमार बंसल के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच (तृतीय) जयपुर में परिवाद दाखिल किया। उन्होंने परिवाद में मंच को बताया कि ठेकेदार अशोक कुमार बंसल ने संजय कॉलोनी, पानीपेच में उनका मकान बनाने का ठेका लिया था। मकान निर्माण के लिए दोनों पक्षों के बीच लिखित अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अशोक कुमार बंसल को 941 रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से काम के साथ समय-समय पर पैसा लेना था। इसके बाद ठेकेदार ने उनसे करीब 9 लाख 20 हजार रुपए ले लिए, लेकिन शर्तों के हिसाब से कार्य नहीं किया। उसने काम के हिसाब से वसूली गई अधिक राशि भी उन्हें नहीं लौटाई और बाद में वह काम बीच में छोड़कर भाग गया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने ठेकेदार को अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया। मंच ने ठेकेदार अशोक कुमार बंसल को आदेश दिया कि वह निर्माण के लिए ज्यादा वसूले गए 3 लाख 30 हजार 698 रुपए पिस्ता देवी को मय 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाए, साथ ही डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी अदा करें।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 35 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2016 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

'जल स्वावलंबन अभियान'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2016 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2017 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485

लोक योजनाओं पर होगा ज्यादा खर्च

इस साल में केन्द्र सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च करने जा रही है। केन्द्र के साथ ही राज्य सरकारों के वर्तमान ग्रामीण सामाजिक सहायता कार्यक्रमों और खर्च के तौर-तरीकों में भी बदलाव किया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और गरीबी कम करने में मदद मिलेगी।

नई योजना के तहत पंचायतों को अधिक ताकतवर बनाया जाएगा। वित्तीय आवंटन के साथ ही स्कीमों के क्रियान्वयन, निगरानी व प्राथमिकता जैसे मामलों में पंचायतों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। योजना का खास मकसद गरीब परिवारों को सामर्थवान बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

ग्राम पंचायतों में होंगे उत्कृष्ट स्कूल

प्रदेशभर की हर ग्राम पंचायत में उत्कृष्ट स्कूल होगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 2017-18 तक यह स्कूल शुरू कर दिए जाएंगे। इनको निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और उनसे भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये स्कूल कक्षा 1 से 8 या 1 से 5 तक होंगे।

इन स्कूलों में आदर्श स्कूलों की तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। जिनमें सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ बाल केन्द्रित, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित शिक्षण पद्धति लागू करने की पहल की जा रही है। इससे सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ेगा।

पंचायत देगी जमीन, फिर पैसा

गरीबों को आवास देने के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर आवास के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। यदि किसी लाभार्थी के पास शुरुआत में जमीन नहीं है तो ग्रामीण विकास विभाग नियमानुसार आवास की सहायता राशि के लिए उसका पंजीयन करेगा।

उसे पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पंचायत को लिखा जाएगा, जो पंचायती राज अधिनियम के तहत रियायती या मुफ्त भूमि लाभार्थी को देगी। इसकी सूचना देने पर ग्रामीण विकास विभाग उसे आवास की पहली किश्त का पैसा जारी करेगा।

गांवों में बनेंगे महिला पंचायत मंच

प्रदेश के सभी गांवों में महिला पंचायत का गठन किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि इससे हर महिला की समस्या का समाधान किया जा सकेगा और गांव-गांव तक महिला आयोग की पहुंच होगी।

इसमें महिला पंचायतों से संबंधित प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर ही काउंसलिंग के जरिए निस्तारण किया जा सकेगा। महिला पंचायतों को इसकी रिपोर्ट हर महीने की 30 तारीख तक महिला आयोग को देनी होगी। इससे गांवों में महिला उत्पीड़न के मामलों में कमी आएगी। इस दौरान प्रभावी कार्य करने वाली महिला पंचायतों को पुरस्कार भी दिया जाएगा।

बेटी के जन्म पर अनूठी पहल

सामाजिक संस्थाओं के बूते बेटी बचाने में अपनी अलग पहचान बना चुके श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन ने भी अनूठी पहल शुरू की है। एक जनवरी 2017 से जिस परिवार में बेटी का जन्म हो रहा है, उसके परिजन 5-5 पौधे लगा रहे हैं। पौधों के नाम भी अपनी बिटिया के नाम पर किसी ने गुड्डी रखा है तो किसी ने परी व पूजा।

जिला प्रशासन के अनुसार सरकारी अस्पताल में जितनी भी बेटिया जन्म लेंगी, उनके परिजन अपनी बेटियों के नाम से पांच-पांच पौधे लगाएंगे। लगाए गए पौधों की देखरेख भी वे खुद करेंगे। पौधे वन विभाग निःशुल्क उपलब्ध कराएगा व स्थान जिला प्रशासन तय करेगा।

सरकार देगी जैविक खेती को बढ़ावा

कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया है कि किसानों को सस्ती दरों पर जैव उर्वरक उपलब्ध कराकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। डूंगरपुर को पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनाने का लक्ष्य है।

सरकार फव्वारा और बूंद-बूंद सिंचाई योजना पर अनुदान बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रक्रिया को फार्मर फ्रेंडली बनाया जाएगा और हर संभाग में छोटे स्तर पर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट होगी। यह जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के मकसद से वर्ष 2017 के लिए ऐसी 17 प्राथमिकताएं तय की गई है।

मैं बोलुंगा तो बोलेंगे कि...!

सातवें वेतन आयोग से पूर्व डाक विभाग के कैजुअल लेबर्स का वेतन महानिदेशक (डाक सेवाएं) नई दिल्ली के आदेश क्रमांकः 2-53/2011 पीसीसी दिनांक 22 जनवरी 2015 के अनुसार जनवरी 2006 से बढ़ाया गया था।

लेकिन महानिदेशक के इन आदेशों की पालना नहीं हुई है। डाक विभाग के अधिकारियों ने अभी तक इन गरीब मजदूरों को जनवरी 2006 से एरियर का भुगतान नहीं दिया है। बहुत से गरीब मजदूरों को तो इसकी जानकारी तक नहीं है।

- मुकेश शर्मा, जी.डी.एस. पैकर
चित्तौड़गढ़

मंत्री रोकेंगे बिजली चोरी

प्रदेश में बिजली चोरी रोकने और बिजली बचाने की दिशा में नई पहल होने जा रही है। अब हर मंत्री को एक ऐसा गांव गोद लेना होगा, जिसमें बिजली चोरी हो रही है। उन्हें बिजली चोरी को घटाकर शून्य करना होगा।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा सभी 29 मंत्रियों को यह जिम्मा दिए जाने की तैयारी है। प्रशासनिक सुधार विभाग मंत्रियों को इसके लिए पत्र जारी करेगा। मंत्रियों के बाद सभी विधायकों को भी इसी तरह जिम्मा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की मंशा है कि गांवों में 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली मिले।

योजनाओं का होगा सोश्यल ऑडिट

मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का हर छह माह में एक बार शत-प्रतिशत सामाजिक अंकेक्षण (सोश्यल ऑडिट) होगा। साथ ही वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक हुए सोश्यल ऑडिट अभियान में निकली बकाया राशि की वसूली कर लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि जांच दलों को ग्राम सभा की बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध कराना आवश्यक है।

गांवों को डिजिटल बनाएगी सरकार

केंद्र सरकार अब देश के गांवों को डिजिटल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू करेगी। आदर्श गांव को डिजिटल बनाने के फैसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मुहर लगा दी है। योजना के पहले चरण में पांच हजार गांवों को डिजिटल बनाया जाएगा।

पीएमओ के निर्देश के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विलेज के लिए मानक तय किए हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर